

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक /मान्यता/नि.वि. फीस/पी/2025-26/1940
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30.09.2025

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय: मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 एवं यथासंशोधित नियम 2025 के तहत निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मर्दों में) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने बावत् ।

- संदर्भ:- (1) संचालनालय का पत्र कमांक/विद्या/नि.वि. फीस/पी/422/2022/1797 दिनांक 15/09/2022
(2) संचालनालय का पत्र कमांक/मान्यता/जे/अधिनियम/2025/1249 भोपाल दिनांक 15.07.2025

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम-2017 एवं नियम-2020 क्रमशः दिनांक 25/01/2018 एवं दिनांक 02/12/2020 को अधिसूचित किये गये हैं। यथासंशोधित अधिनियम/नियम 2025 अधिसूचित किये गये हैं। जो अधिसूचना दिनांक से प्रवृत्त होकर लागू हैं। उक्त के क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में मध्यप्रदेश के निजी विद्यालयों को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) नियम-2020 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 एवं 4 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 की जानकारी दिनांक 31.03.2026 तक पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

QW

(के.के. द्विवेदी)
संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30.09.2025

पृ०कमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2025-26/1941
प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सीबीएसई/आईसीएसई/एवं अन्य बोर्ड।
4. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य/संचालक, अशा. विद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

QW

संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश